Popular Front of India

+91 11 2 9949902
popularfrontmail@gmail.com
www.popularfrontindia.org
/PopularFrontofIndiaOfficial
@PFIOfficial
/PopularFront EMedia
/pfiofficial

प्रेस रिलीज़

नई दिल्ली
4 दिसंबर, 2019

बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी:
मस्जिद की याद को ज़िंदा रखें और न्याय के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ें

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के महासचिव एम. मोहम्मद अली जिन्ना ने बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के अवसर पर एक बयान जारी करते हुए, सभी इंसाफ पसंद लोगों और समूहों से अपील की है कि वे इस अवसर पर बाबरी मस्जिद की याद को ज़िंदा रखें। उन्होंने बाबरी मस्जिद मुकदमे में शामिल सभी मुस्लिम पैरूकारों, नेताओं और समूहों से भी अपील की है कि वे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय में संयुक्त रूप से रिव्यू पिटिशन दाखिल करें।

6 दिसंबर, 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद की गई। आज लगभग 27 साल बीत चुके हैं। इधर 9 नवंबर को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस साल की बरसी को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। अदालत ने स्वयं अपने फैसले में दोहराया कि मस्जिद बनाने के लिए किसी भी मंदिर को नहीं गिराया गया और यह कहा कि 1949 में मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखना और 1992 में मस्जिद को ध्वस्त करना गैरकानूनी अमल था। लेकिन इन सभी तथ्यों के बावजूद, अदालत ने एकतरफा तौर पर विवादित भूमि को राम मंदिर निर्माण के लिए हिंदुओं को देने का फैसला किया। इस फैसले ने एक तरह से बाबरी मस्जिद पर हुए आतंकवादी हमले को वैधता प्रदान की है, और इसका परिणाम यह होगा कि ऐसे आपराधिक समूह किसी भी धार्मिक समुदाय के धर्मस्थलों पर अपना दावा कर सकते हैं और उनपर जबरन कब्ज़ा भी कर सकते हैं।

यह सवाल अभी भी बना हुआ है, कि अगर मस्जिद को ढहाना एक अपराध था, तो यह अपराध करने वाले आज तक आज़ाद क्यों घूम रहे हैं? यह देश के लिए बड़ी शर्म की बात है कि संघ परिवार के बड़े नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामलों में अब तक कोई फैसला नहीं दिया गया है, जिनकी अगुवाई में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले में भी उनके अपराध का उल्लेख किया गया है।

याद रखना फासीवाद के खिलाफ लड़ाई का पहला कदम है। पॉपुलर फ्रंट उन सभी समूहों और संगठनों के साथ एकजुटता व्यक्त करता है, जो विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बाबरी मस्जिद की याद को ताज़ा रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट आने वाले दिनों में इस संबंध में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर रहा है, जिनमें विभिन्न राज्यों में पोस्टर अभियान, हैंडबिल का वितरण और घर–घर मुलाकात जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।

एक तरफ जहां मुस्लिम पक्ष हालिया फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटिशन दायर करने की योजना में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दुर्भाग्य से उनके बीच कुछ नामुनासिब संकेत भी नज़र आ रहे हैं। इस पूरी लड़ाई में न्याय के लिए मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले एडवोकेट राजीव धवन जैसे वरिष्ठ वकीलों को कभी नहीं लगना चाहिए कि वे अकेले हैं। पॉपुलर फ्रंट का मानना है कि अलग–अलग प्रयास करने के बजाय, अन्याय के शिकार सभी लोगों के संयुक्त प्रयास से ही बेहतर परिणाम निकल सकते हैं।

मोहम्मद अली जिन्ना ने एडवोकेट राजीव धवन के नेतृत्व में कानूनी टीम के प्रयासों की प्रशंसा की, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में पूरी मेहनत से मुकदमा लड़ा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पॉपुलर फ्रंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटिशन दायर करने में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का समर्थन करता है।

डॉ० मोहम्मद शमून
डायरेक्टर, मीडिया एवं जनसंपर्क
मुख्यालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली